

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935

No. 392]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

का.आ. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1248(अ), तारीख, 5 नवम्बर, 2004 निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

सारणी में, "परिवहन यान" स्तम्भ के नीचे खंड (xxi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xxii) चौपहिया साइकिल"

[फा. सं. आर.टी.-11028/9/2013-एमवीएल] संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2014

S.O. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment of the Notifcation No. S.O. 1248(E), dated the 5th November, 2004 of the Government of India in the erstwhile Ministray of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, namely:—

In the Table, in the first column under 'Trasnsport Vehicle', after clause (xxi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xxii) Quadricycle".

[F. No. RT-11028/9/2013-MVL] SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.